मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 225/2023

1. शान्तुन पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. रामकुमार पुत्र मनफुलराम जाति जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अर्चना गोदारा पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 17/05/24

वादी की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री नवीन जैन अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई**आर.ए.एस** उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि में वादी (शान्तुन) को तहसील पीलीबंगा के चक 15 एमओडी–ए के खाता सं. 93/85 के प.नं. 43/263(15) किला नं. 21 ता 25 की 1.265 हैक्ट. नहरी खातेदारी तथा चक 14 एमओडी के खाता सं. 97/96 के प.नं. 42/270(4) किला नं. 5/1/0.165, 5/2/0.025, 6/3/0.026, 6/4/0.025 की 0.241 हैक्ट., प.नं. 43/270(3) किला नं. 1, 10, 20 की 0.759 हैक्ट. कुल 1.000 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 17/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 10:57:49 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी